

Form No. 111

फर्द अहकाम

नियम 20

जज अदालत

उस डी उम

मुकाम

कोटड़ा

कुमलेश, कालिया

बनाम

केसरा

किस्म मुकदमा

9/16

नं. 88 RTAG.

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/6/16	<p>पतापती राजस्व लोक अदालत शिबिर न्याय आपके डार' में प्रस्तुत वादी प्रालवादी उपस्थित वादी ने दावा प्रस्तुत कर अधिन किया की मूल पुत्र अलखा पिता विरमा थं जिनके चार पुत्र - चेना, भगा, लाडु और भुरा हुडे। वक्त से 2011 में बड़ा पुत्र चेना होने से सम्पूर्ण भूमी का वारिस चेना को घोषित किया गया साथ ही शेष तिन भाइयों का नाम जमाबंदी में छुट गया परन्तु आज दिनांक तक हम चारों भाइयों के वारिसान अपने अपने हिस्से अउमार कल्पे का विषय ही शोतिपूर्ण कारत कर रहे हैं चुकीं हम चारों मूल पुत्र के वारिसान सजरा अउमार हैं और साथ ही राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है की हमारा सजरा अनुसार नाम जमाबंदी में जोड़ जाये पक्का को अक्लोकन किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया राजीनामा एवं प्रमाणित सजरा का अक्लोकन किया जाकर मौजा देडमारिया पटवार 41 का देडमारिया की जमाबंदी सेवत 2071 से 74 के खाता स० 14 में दर्ज कुल आराजीयात कित 12 मेंसे। खसरा नम्बर 756/419 रकबा 2.01 के छोड़ शेष आराजीयात कुल कित 11 रकबा 10.12 का कुमलेश पिता केवला, पूनी पतिन स्व केवला के 1/4 कालिया, मंजी पिता लाडु एवं इतरी पतिन स्व. लाडु के 1/4 भुरा</p>	

डिक्री व मुकद्दमें इब्तादाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ^{कोटडा} मोमुन्दा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी

श्री गोपाल लाल मीना (R.A.S.) कोटडा

मुकदमा

9/16

सन्

29/06/2016

सीगह

श्री

शुभ पित्त अलखा
कमलेश पित्त केवला
कामिया मंजी पित्त लाडु
निवासी देडमारिया

बनाम

केसरा लुका पित्त चेला
सवा पित्त मसक
निवासी देडमारिया

दावा बाबत

BB RT Act

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री गोपाल लाल मीना के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से वकील श्री

स्वयं

प्रतिवादी की ओर से वकील

स्वयं

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

पत्रा, ईश देडमारिया तहकोटडा की जमाबंदी से पूर्व 2071 से 7/4 के खाता सं 14 में दूध कुल आराजीयात कित 12 में से 11 अक्षर नम्बर 756/419 रकबा 2.01 को छोड़ कर शेष आराजीयात कुल कित 11 रकबा 10.12 का कमलेश पित्त केवला, मंजी पित्त रब केवला को 1/4 कामिया मंजी पित्त लाडु, जव उत्तरी पित्त रब लाडु को 1/4 शुभ पित्त अलखा को 1/4, केसरा लुका पित्त चेला सवा पित्त मसक को 1/4 का खातेदार कबत कार खोषित किया जाता है शेष बहसुर जमाबंदी अनुसार।

और इस वाद के खर्चे लेखे

रुपये की राशि

आज की तारीख

से वसूली की तारीख तक उस पर

प्रतिशत की दर से ब्याज सहित

द्वारा को दी जाये।

यह आज तारीख

29/06/2016

मार

सन्

को

मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(गोपाल लाल मीना)

हस्ताक्षर न्यायाधीश

उपखण्ड अधिकारी

पद

कोटडा जिला उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		